

भाग- II

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

7.		परियोजना/स्कीम का स्थान-	पटवध से बसुहारी सम्पर्क मार्ग चौड़ीकरण/सुदृढीकरण में प्रभावित कुल 34.6725 हे० वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव।
	I	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
	II	जिला	सोनभद्र
	III	वन प्रभाग	ओबरा वन प्रभाग
	IV	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	34.6725 हे०
	V	वन की कानूनी स्थिति	आरक्षित वन
	VI	हरियाली का घनत्व	0.3
	VII	प्रजाति वार (वैज्ञानिक का नाम) आर परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाय)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ०आर०एल०-2 मीटर पर परिगणना और एफ०आर०एल०-4 मीटर संलग्न की जाए	संलग्न है।
	VIII	भूसंरक्षण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	भू-क्षरण के लिए संवेदनशील है।
	IX	वनोत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमानित दूरी-	शून्य
	X	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्योरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबंधित की जाए)	नहीं
	XI	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है। यदि हाँ/तो तत्संबंधी ब्योरा दें।	नहीं
	XII	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/ रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्योरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हों, दें।	नहीं
8.		प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्योरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	न्यूनतम है
9.		क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कारवाई सहित कार्य का ब्योरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं
10.		प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्योरा	
	I	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इनकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, भू-खण्डों का आकार।	संलग्न है।
	II	वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित/वनेतर/ अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	संलग्न है।
	III	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	संलग्न है।
	IV	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	97.897 लाख

प्रभागीय वन अधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र

	V	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित कि प्रतिपूरकया जाए)	संलग्न है।
11.		जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विषेशतः उपयुक्त कालम 7 (VI, XII) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए संलग्न करें।	संलग्न है
12.		विभाग/जिला प्रोफाइल	
	I	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	6788 वर्ग किलोमीटर।
	II	जिले का वन क्षेत्र	3782.86 वर्ग किलोमीटर
	III	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र।	69 मामले/793.744हे0
	IV	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण।	—
	क	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	842.754 हे०
	ख	वनेत्तर भूमि पर	—
	V	तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	
	क	वन भूमि पर	842.754 हे0
	ख	वनेतर भूमि पर	—
13.		प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	चूँकि पटवध से बसुहारी मार्ग बिहार प्रान्त से जाकर मिलता है, यह मार्ग आस-पास के ग्रामवासियों के आने-जाने का भी मुख्य मार्ग है। प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण हो जाने से स्थानीय ग्रामवासियों को आवागमन में सुविधा होगी। उक्त के दृष्टिगत पटवध से बसुहारी सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण/सुदृढीकरण कार्य किये जाने की अनुमति दिये जाने की संस्तुति की जाती है।

तिथि - 15/07/2021

स्थान ...ओबरा...

हस्ताक्षर

नाम

(प्रखर मिश्रा)
 सरकारी प्रोहरीय वनाधिकारी
 ओबरा वन प्रभाग
 ओबरा-सोनभद्र